प्रश्न सं. [क्र. 7799]

विधान सभा प्रश्न क्र. अना. 7799 के प्रश्नांश "क" का परिशिष्ट
श्री दिनेश राय (मुनमुन) - विधायक - पेज संख्या 01 से 02 तक

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

13/06/13

क्रमांक–3/अ.प्र./2013/713 भोपाल, दिनांक / /2013

प्रति,

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
मध्यप्रदेश ।

विषय–पोस्टमार्टम हेतु दिशानिर्देश ।

प्रदेश के चिकित्सालयों में कई चिकित्सकों द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट स्पष्ट अभिमत सहित नहीं दी जा रही है। समय–समय पर मानव अधिकार आयोग द्वारा भी इस विषय पर संज्ञान लिया गया है व अनुशंसा की गई है कि चिकित्सक पोस्टमार्टम सही प्रक्रिया से कर मृत्यु के कारण का स्पष्ट अभिमत दें।

पोस्टमार्टम(पी.एम.) का उद्देश्य होता है कि यदि शव की पहचान नही हो तो उसकी पहचान की जाना, मृत्यु का समय व मृत्यु का कारण प्राकृतिक / अप्राकृतिक / हत्या / आत्महत्या / दुर्घटना स्थापित किया जाना है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया हेतु निर्देश निम्नानुसार हैं।

- पुलिस ऑफीसर / जिला मजिस्ट्रेट के लिखित आदेश पर ही पोस्टमार्टम किया जाये।
- पुलिस द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार मृत शरीर की स्थिति (Appearance) किन हालात में मिला था, और उस समय तक स्थापित मृत्यु के कारण का पोस्टमार्टम के पूर्व सूक्ष्म अध्ययन कर लिया जाये।
- जहां तक सम्भव हो पी.एम. दिन के प्रकाश में किया जाना चाहिये।
- शव गृह (Mortuary)में लाने की तिथि व समय लिखा जाये।
- पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम किये जाने के अभिलेख देने की तिथि, समय दर्ज करें।
- पोस्टमार्टम मृत शरीर प्राप्त होते ही तत्काल किया जाये।
- पी.एम. किये जाने की तिथि, समय व स्थान लिखें।
- कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति को पोस्टमार्टम के समय उपस्थित रहने की स्वीकृति ना दी जाये।
- किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति से पी.एम. रिपोर्ट की चर्चा न की जाये अथवा पी.एम. रिपोर्ट की प्रति भी न दी जाये ।
- पी.एम. करने के आवश्यक उपकरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व अस्पताल प्रभारी का होगा।

- शव की पहचान लाने वाले पुलिस अधिकारी से कराई जाये, जो उसे शवगृह लाया था।
- शरीर का बाहरी रूप परीक्षण कर फाईन्डिंग्स लिखें।
- अनजान शव में उसका रूप व अन्य चिन्हांकन बिन्दुओं का विवरण, फोटो व उंगलियों के निशान (फिंगर प्रिन्ट) लिये जाये।
- शवगृह में शव लाने के तुरंत बाद शव का फोटो लेने की व्यवस्था पुलिस द्वारा करायी जाये।
- शव पर कपड़ों का मेडिको लीगल पहलू से परीक्षण करें। यदि आवश्यक हो तो कपडों को सुखाकर, सील करें एवं उस पर चिकित्सक पोस्टमॉर्टम नं. आदि लिखकर हस्ताक्षर करें।
- दाँतों से आयु का आकलन करें।
- रायगर मोर्टिस देखें।
- शरीर की अवस्था–चोट, हड्डीयों की स्थिति (पूर्ण तकनीकि तौर से परीक्षण) शरीर में पाई गई वस्तुओं की सूची एवं विवरण दर्ज करें।
- पुलिस द्वारा दी गई रिपोर्ट से चिकित्सक द्वारा परीक्षण की गई बाहरी चोटों की रिपोर्ट में कोई भिन्नता है तो उसे दर्ज करें।
- तीनों कैविटिज व हेड (Cavities & Head), थोरेक्स व एब्डामेन (Thorax & Abdomen) का आंतरिक परीक्षण किया जाये।
- आवश्यकतानुसार विसरा (viscera) या अन्य सामग्री को कंटेनर में निर्धारित द्रव्य में, मरीज का नाम, आवंटित नंबर का लेबल लगाकर, उसे सील कर बाहरी डब्बे पर भी नम्बर, नाम अंकित कर केमिकल लेब में विश्लेषण हेतु पुलिस को सौंप कर रसीद प्राप्त कर लें।
- विश्लेषण हेतु प्रेषित सामग्री का पत्र के साथ मृत मरीज/शव का इतिहास, पी.एम. रिपोर्ट की प्रति भी संलग्न करें।
- रिपोर्ट में प्रेक्षण एवं परीक्षण पर आधारित मृत्यु के कारण एवं प्रकार पर मत दिया जाये। यदि पुलिस रिपोर्ट के विवरण को भी, मत पर पहुंचने के लिये है तो उसका उल्लेख भी किया जाये।

- रिपोर्ट संक्षिप्त सुवाच्य पठनीय लिपि में, मृत्यु के कारण पर स्पष्ट अभिमत सहित तत्काल पुलिस को सौंप दी जाये। रिपोर्ट देने में किसी भी स्थिति में 48 घंटे से अधिक का समय नहीं लगना चाहिये।
- रिपोर्ट में काट-पीट न की जाये। कहीं सुधार किया जाता है तो वहाँ हस्ताक्षर तिथि के साथ करें। रिपोर्ट लिखने में एबीविएशन्स (Abbreviation) का प्रयोग न करें।
- मृत्यु के कारण पर स्पष्ट मत नहीं दिया जा सकता है तो उसे तथ्यों सहित उल्लेखित करें।
- चिकित्सक तथा अन्य संलग्न स्टाफ अपना व्यवहार संवेदनशील रखें। मृत शरीर व उनके परीजनों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाये।
- पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में चिकित्सक हस्ताक्षर कर अपना नाम, पदनाम सील सहित एवं मोबाईल नं. अवश्य लिखें।

पीएम रिपोर्ट का पुलिस (गृह विभाग) द्वारा निर्मित प्रोफार्मा संलग्न कर निर्देश हैं कि अपने अधीनस्थ समस्त चिकित्सालयों एवं चिकित्सकों को उपलब्ध करायें। उपरोक्त निर्देश समस्त चिकित्सकों को पालनार्थ प्रेषित करें। शव परीक्षण से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु चिकित्सकों को प्रोत्साहित करें।

(डॉ.के.के.ठस्सू)
संचालक
(अस्प.प्रशा.)

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र, भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.आर.एच.एम, बैंक ऑफ इंडिया भवन, तृतीय मंजिल, अरेरा हिल्स, भोपाल।
4. संचालक, मेडिको लीगल संस्थान, भोपाल।
5. समस्त क्षेत्रीय संयुक्त संचालक, मध्य प्रदेश।
6. समस्त ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, मध्य प्रदेश।

संचालक
स्वास्थ्य सेवायें
भोपाल,मध्यप्रदेश

संयुक्त संचालक (अस्प. प्रशा.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश.